



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 599 राँची, शुक्रवार,

20 सितम्बर, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

5 अगस्त, 2024

सं०-05/परि०प्रब०-01/2024 न०वि०आ० -3035--

विषय: -वित्त नियमावली के नियम235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत राज्यहित में राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का **Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS)** के माध्यम से पुनर्चक्रण **%Recycle%** के **Pilot study** किए जाने हेतु **DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services** तथा **Installation and Commissioning** के निमित्त केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान **(CSIR-CMERI)** दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिकबुनियादी / सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रमुख अवयव है।

2. पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत Solid Waste Management Rules, 2016 अधिसूचित है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने पर बल दिया गया है एवं इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा समयसमय पर दिशानिर्देश दिए जाते रहे हैं-।

3. इस क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक-05.04.2024 को राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों में Waste Recycle की समीक्षात्मक बैठक में सरकारी (ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण) भवनों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए गए: -

I. प्रोजेक्ट भवन-सरकारी भवनों यथा, धुर्वा, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय, इत्यादि सरकारी भवनों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का आकलन करने हेतु नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को निर्देशित किया गया एवं उक्त कार्य में सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।

II. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सभी सरकारी भवनों में अवस्थित विभागों से उत्पन्न अपशिष्ट कागजों को अलग करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनका पुनर्चक्रण किया जा सके।

III. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची अपशिष्ट पुनर्चक्रण करने से संबंधित Integrated Solid Waste Disposal System i-MSWDS प्लांट लगाने हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

IV. अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पुनर्चक्रण करने से संबंधित Integrated Solid Waste Disposal System i-MSWDS प्लांट Environmental Compensation के Fund से क्रय करना सुनिश्चित करेंगे। इसका अधिष्ठापन एवं परिचालन हेतु राँची नगर निगम को उक्त प्लांट को हस्तारित किया जाएगा।

V. सरकारी कार्यालयों में e-waste management हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पूर्व से निर्गत पत्रों/परिपत्रों इत्यादि के आलोक में सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों में e-waste के disposal Computer, Printer, etc. हेतु निम्नवत् आवश्यक कदम उठाए जाएँ-

i. अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् e-waste के Environmentally sound recycling को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम करना सुनिश्चित करेंगे।

ii. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए e-waste Management Rules, 2022 के Schedule-1 में उल्लेखित Orphaned products का उचित संग्रह एवं चैनालाईज Registered recyclers या refurbisher के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

iii. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।

iv. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची सरकारी भवनों से उत्पन्न e-waste को अलग से एकत्र कर Registered recyclers या refurbisher के माध्यम से निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में पुनः दिनांक-06.05.2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रशासक, राँची नगर निगम को ठोस अपशिष्ट का आकलन करने एवं Integrated Solid Waste Disposal System (i-MSDWS) के अधिष्ठापन, पूर्ण कार्यान्वयन, Commissioning & Operation हेतु CSIR-CMERI, Durgapur के साथ MoU किए जाने का निदेश दिया गया।

4. राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक-158, दिनांक-13.05.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि Integrated Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के अधिष्ठापन हेतु स्मार्ट सिटी के ABD क्षेत्र में Utility, प्लॉट नं0-53/पार्ट में एक एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है जिसे राँची नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने हेतु आगामी High Power Steering Committee (HPSC) की बैठक में रखा जाएगा।

5. उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में सी०एस०आई०आर०-केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI), दुर्गापुर द्वारा विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक (DSWMT) का विभिन्न Modules विकसित किया गया है। CSIR-CMERI, Durgapur द्वारा Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के विभिन्न घटकों का अधिष्ठापन CRPF, Durgapur; CSIR-CoCEFM, Ludhiana; CSIR-NEIST, Jorhat; Karunaya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में किया गया है।

6. राँची नगर निगम के पत्रांक-230/स्वच्छता, दिनांक-13.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकारी भवनों से लगभग 1.3 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट निकलता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में नए कार्यालयों के प्रारंभ होने की संभावना है यथा- Urban Civic Tower अन्तर्गत आवंटित कार्यालय, जुपमी बिल्डिंग अन्तर्गत आवंटित कार्यालय, Smart City ABD Area अन्तर्गत कार्यालय एवं संस्थाएँ इत्यादि इनसे निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को शामिल किए जाने पर लगभग 05 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट Process किए जाने वाले i-MSWDS स्थापित किया जाना उचित होगा।

7. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यट के पत्रांक- B1244, दिनांक-21.05.2024 द्वारा CSIR-CMERI, दुर्गापुर का प्रस्ताव राँची नगर निगम को उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के लिए Cost एवं Payment Term निम्नवत् है: -

A) Cost:-

Sl.	Items	Capacity	Cost
1	DPR Preparation with consultancy support for construction, installation & commissioning of iMSWDS Plant	Upto 5 ton/day capacity	Rs. 6,00,000/- + GST@18%

B) Payment Term:

Installment	Amount (%)
1st	Mobilization advance @ 20% of the total amount
2nd	After submission of DPR @ 30% of the total amount
3rd	Construction & Installment of Machineries @ 40% of the total amount
4th	Commissioning & Training of Manpower @ 10% of the total amount

8. अतएव उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत राज्यहित में राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्चक्रण 'Recycle' के Pilot study किए जाने हेतु DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के निमित्त केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI), दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9. कंडिका 8 में वर्णित निर्णय पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.07.2024 को आहूत बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
